

# अंचल अधिकारी का कार्यालय कुन्दा।

केश का प्रकार:- 21.05.2025

वाद संख्या-12/25

संतोष कुमार अग्रवाल वगै०

बनाम

दीपक कुमार अग्रवाल

भोला राम


श्रीमति संगीता देवी

क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>आवेदक, 1.श्री संतोष कुमार अग्रवाल, पिता-राजु प्रसाद अग्रवाल 2. राजकुमार अग्रवाल, पिता- ईश्वर साव, 3.रामजी अग्रवाल पिता-केशवर साव अग्रवाल सभी मौजा-कुन्दा ने मौजा- कुन्दा, खाता-77 प्लॉट संख्या-447 448 रकबा-26 डी0 से संबंधित वाद लाया गया है।</p> <p>आवेदन में आवेदक द्वारा बताया गया है कि उनके दादी रुकमनी देवी के छः पुत्र हैं। छः पुत्र में एक पुत्र नावलद थे। शेष पाँच हिस्सेदार हैं। परन्तु उक्त जमीन आवेदक के चाचा श्री श्रवण अग्रवाल ने अपने पुत्र श्री दीपक कुमार अग्रवाल ग्राम- कुन्दा को बिना जानकारी दिए बेच दिया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि उक्त भूमि को श्री दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा श्रीमति संगीता देवी को विक्री किया गया है जिसका दाखिल खारिज केश नं० 89/2024-25 है। स्थानीय जांच के दौरान पाया कि आवेदित भूमि पर क्रेता और विक्रेता का दखल कब्जा नहीं है, तीसरे व्यक्ति भोला राम का दखल है। साथ ही पहले से ही विक्रेता और भोला राम के बीच विवाद है। साथ ही विक्रेता के चचेरे भाई संतोष प्रसाद अग्रवाल, रामकुमार अग्रवाल एवं रामजी अग्रवाल द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया है। अतः संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन आवेदक संतोष कु० अग्रवाल के पार पृष्ठ पर अंकित है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>संबंधित पक्षकारों को सुनवाई हेतु मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक 14/05/25 को उपस्थित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी, कुन्दा।</p>	<p>19/05/25</p> <p>23/05/25</p> <p>28/05/25</p> <p>112</p>

14.05.25

तामिळनाडु शासन /  
 प्रथम पक्ष-महोपाध्याय /  
 द्वितीय पक्ष-उपाध्याय /  
 कानूनमन्त्री की कार्यालय /  
 कापिल की कार्यालय /  
 प्रथम पक्ष-महोपाध्याय /  
 द्वितीय पक्ष-उपाध्याय /  
 कानूनमन्त्री की कार्यालय /  
 कापिल की कार्यालय /

दिनांक 19.05.25 को

  
 प.स.प

19/05/25

अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष के सभी  
 सदस्य उपस्थित / द्वितीय पक्ष के सभी  
 सदस्य उपस्थित / एक अन्य अधिकारी  
 उपस्थित / दिनांक 23/05/25 को

23/05/25

अभिलेख उपस्थापित /  
 प्रथम पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष के एक  
 सदस्य उपस्थित /  
 पुनः प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित /  
 द्वितीय पक्ष उपस्थित / दिनांक 28/05/25 को

370/370

28/5/25

अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष के  
 एक सदस्य की हजारी शर्तों /  
 द्वितीय पक्ष-महोपाध्याय /  
 प्रथम पक्ष-उपाध्याय /  
 कानूनमन्त्री की कार्यालय /

अभिलेख के भवनीकन से उपर होता-  
 कि दोनो पक्षों द्वारा अनुहनामा भावेदन-  
 के 23.5.25 को दाखिल किया गया है।  
 भाष-निष्पत्ति-विधि को अनुहनामा में  
 दाखल करने वाले व्यक्ति उपरि-वात नहीं  
 है। भवनी-निष्पत्ति-विधि 30.05.25  
 को सभी-अदालत उपरि-वात रहेगी।

23.05.25

5/25

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित।  
 द्वितीय पक्ष के एक सदस्य की हमारी दाखिल।  
 प्रथम पक्ष के दो सदस्य उपरि-वात।  
 पुनः राजकुमार भगवान, अंतोम उर्फ  
 भगवान, दीपक कुमार भगवान एवं वीर  
 धर अनुहनामा भावेदन दाखिल किया  
 गया है।  
 महामासनादि-मा-वेदवारि से संबंधित  
 है। दाखिल-अनुहनामा के माध्यम-पर  
 वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

30.05.25